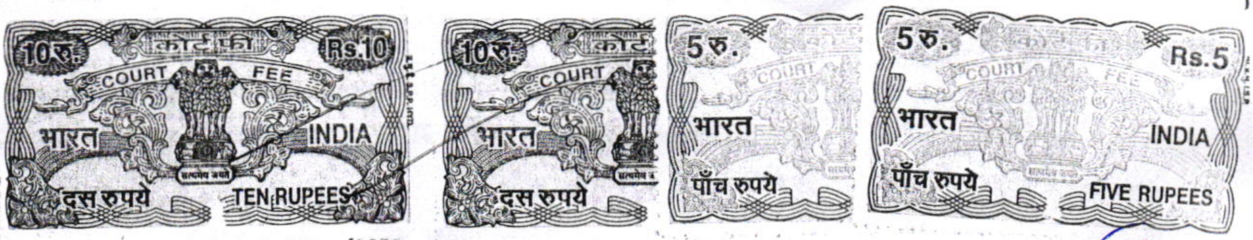

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक–   /पीबीआर/2018

निगरानी – 4588/2018/भोपाल/भू.रा.

श्यामनाथ शर्मा, आयु लगभग 51 वर्ष

आत्मज श्री एस.एन.शर्मा

निवासी–ई–5/137, अरेरा कालोनी, भोपाल   ....आवेदक

विरूद्ध

01. म.प्र. शासन
02. राजेश वाधवानी, आयु लगभग 52 वर्ष
    आत्मज स्व. श्री बी.जी. वाधवानी
    निवासी सी – 321 शाहपुरा, भोपाल
03. पुष्पा तिवारी पत्नी स्व. शंभुलाल तिवारी
    निवासी ई 107, शिवाजी नगर भोपाल
04. संजय पालीवाल आत्मज महेन्द्र पालीवाल,
    निवासी सीहोर , द्वारा मुख्तारआम
    राजेश वाधवानी   ....अनावेदकगण

आयुक्त कार्यालय भोपाल से भोपाल कैम्प में प्राप्त 23/7/18

<u>निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 04.05.2018 अंतर्गत प्रकरण क्रं.–111/निगरानी/2015–16 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल पक्षकारगण श्यामनाथ शर्मा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/4588/2018/भोपाल/भू.रा. (श्यामनाथ शर्मा / शासन आदि)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-8-2018	आवेदक की ओर से श्री अतुल धारीवाल अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2 से 4 की ओर से श्री संजीव जायसवाल अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर उभय पक्ष के विद्वाना अभिभाषकों को को सुना गया । आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 4-5-18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गई है । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश को विधिसंगत पाते हुए आयुक्त द्वारा यथावत रखा गया है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में क्या अवैधानिकता है इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । फलस्वरूप यह निगरानी, प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	